संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

बैंक ऑफ इंडिया भवन तृतीय तल अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश

क्र./एन.आर.एच.एम./आर.बी.एस.के./2013/14855 भोपाल दिनांक 30/11/2013

प्रति,

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग,
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग,
अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, श्यौपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा।

विषयः— **अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, श्यौपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा में शीघ्र अतिशीघ्र मोबाइल हेल्थ टीम का प्रशिक्षण, परीक्षण टूलकिट व मार्गदर्शिका के अनुसार अन्य आवश्यकताओं सहित, माइक्रोप्लान के आधार पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वित किये जाने बाबत्।**

प्रदेश के बच्चों को स्वस्थ्य व सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, इस दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, श्यौपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा में दिसम्बर अंत तक शीघ्र अतिशीघ्र मोबाइल हेल्थ टीम का प्रशिक्षण पूर्ण कर, परीक्षण टूलकिट व मार्गदर्शिका के अनुसार अन्य आवश्यकताओं सहित, माइक्रोप्लान के आधार पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।

RBSK के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रदेश में सुनिश्चित की जायेंगी :—

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में अधिकतम पायी जाने वाली जन्मजात विकृतियॉं, बच्चों की बीमारियॉं, पोषण की कमी, विलंबित विकास व निःशक्तता आदि चिन्हित 30 स्वास्थ्य स्थितियों (बीमारियों) का निदान व उपचार किया जाना है।
2. मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों का परीक्षण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा शासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों पर किया जायेगा। 0—18 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र व शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों एवं शासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।
3. ऑंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्कूल प्रबंधन, माता—पिता/अभिभावकों को बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अवगत कराते हुए मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का दिन, समय व स्थान के बारे में पूर्व से सूचित करेंगे।

4. आँगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्र में समस्त 0 से 6 वर्षीय बालक / बालिकाओं का पंजीकरण एवं प्रोत्साहन किया जायेगा।
5. शासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों में शिक्षक द्वारा मोबाइल हेल्थ टीम का सहयोग एवं माइक्रोप्लान में उक्त दिवस में छात्रों की अधिकतम उपलब्धता की सुनिश्चितता एवं प्रोत्साहन किया जायेगा।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि :—

- जिले में RBSK की सूक्ष्म कार्ययोजना मोबाइल हेल्थ टीम के माइक्रो प्लान के आधार पर तैयार करें। माइक्रों प्लान में सभी मजरे, टोले एवं दूरस्थ पहुँचविहीन गाँवों को चिन्हित कर अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये।
- इस सूक्ष्म कार्ययोजना में 'सुपोषण –सी.एन.आर.सी. / स्नेह शिविर' ग्राम को इस प्रकार सम्मिलित किया जायेगा कि यह टीम स्नेह शिविर के 12th / 30th दिवस को इस ग्राम में अवश्य पहुंचे। अन्य बच्चों के साथ–साथ सी.एन.आर.सी. / स्नेह शिविर के बच्चों पर भी इनका विशेष ध्यान रहेगा।
- प्रत्येक विकासखण्ड में 2 मोबाइल हेल्थ टीम को बच्चों की जाँच का काम सौंपा जाएगा। विकासखण्ड के अधिकार क्षेत्र के गांवों की जाँच के लिए मोबाइल हेल्थ टीम के बीच वितरित किया जाएगा।
- मोबाइल हेल्थ टीम बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर साल में दो बार एव स्कूल में एक बार जायेगी। प्रत्येक दिन यह टीम 110–120 बच्चों का परीक्षण करेगी यदि किसी स्कूल में 110–120 से अधिक बच्चे पढ़ रहें है तो ये टीम दोबारा वहां जायेगी।
- 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की जाँच आंगनवाड़ी केन्द्रों में की जाएगी।
- 6 से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की जाँच सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की जाएगी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रो में बच्चों की जाँच वर्ष में कम से कम दो बार और स्कूली बच्चों की जाँच एक वर्ष में एक बार की जाएगी।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चों में पायी जाने वाली जन्मजात विकृतियॉं, बच्चों की बीमारियॉं, पोषण की कमी, विलंबित विकास व निःशक्तता आदि चिन्हित 30 स्वास्थ्य स्थितियों (बीमारियों) का निदान व उपचार किया जाएगा।
- मोबाइल हेल्थ टीम के आगमन के पूर्व ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका एवं आशा के सहयोग से जन्म से 6 वर्षीय समस्त हितग्राही बच्चों की पंजी का अद्यतन किया जायेगा व सुनिश्चित किया जायेगा कि इसके अनुसार सभी बच्चे जांच वाले दिन उपस्थित हों।
- ए.एन.एम. एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता आवश्यकता के आंकलन अनुरूप सभी दवाईयों की उपलब्धता आंगनवाड़ी केन्द्र पर सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त हितग्राही बच्चों को दवा खिलाने के पश्चात ही भेजा जाए, ताकि कोई भी बच्चा इन औषधियों के लाभ से वंचित न रहे।
- जिलों में सर्वस्तर पर RBSK का शुभारंभ जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर समारोह पूर्वक किया जाए।
- RBSK के आयोजन एवं गतिविधियों के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, शिविर की दिनांक सभी मुख्य स्थानों पर, शिविर दिन से तीन दिन पूर्व ग्राम मे मुनादी द्वारा प्रचार आदि किया जाये, इसमे ग्राम स्वास्थ्य समिति को भी सम्मिलित किया जाये एवं ग्रामीण

शासकीय भवनों जैसे – उपस्वास्थ्य केन्द्र, आँगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, अथवा पंचायत भवन का उपयोग कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन हेतु किया जाए।

- **पर्यवेक्षणः–**
  - RBSK के अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक समन्वय कर चेकलिस्ट के अनुरूप कार्यक्रम की गतिविधियों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये।
  - सेक्टर मेडिकल ऑफिसर एवं खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों के कार्यो की संयुक्त मॉनिटरिंग किया जाये।
  - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी भी RBSK में दी जाने वाली सेवाओं की सतत् मॉनिटरिंग करें एवं समस्याओं का कार्यस्थल पर ही निवारण किया जाये।

आपसे अपेक्षा है कि RBSK के क्रियान्वन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं सामाजिक व सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आप आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें, ताकि शत्–प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।

(रश्मि अरूण शमी) **आयुक्त सह संचालक,** **राज्य शिक्षा केन्द्र** **मध्यप्रदेश**	**(नीलम शमी राव)** **आयुक्त,** **महिला एवं बाल विकास विभाग** **मध्यप्रदेश**	**(डॉ.एम.गीता)** **मिशन संचालक,** **एन.आर.एच.एम.** **मध्यप्रदेश**

क्र./एन.आर.एच.एम./आर.बी.एस.के./2013/14856 भोपाल दिनांक 30/11/2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ –

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा, मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं भोपाल स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं भोपाल महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

9. जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

10. संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं भोपाल आर.सी. एच./एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।

11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा, आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।

12. जिला शिक्षा अधिकारी, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, दमोह दतिया, धार, डिंडोरी, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, बुरहानपुर, शाजापुर, शहडोल, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ, उज्जैन, उमरिया एवं विदिशा, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

(रश्मि अरूण शमी)	(नीलम शमी राव)	(डॉ.एम.गीता)
आयुक्त सह संचालक,	आयुक्त,	मिशन संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र	महिला एवं बाल विकास विभाग	एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
बैंक ऑफ इंडिया भवन तृतीय तल अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश

क्र./एन.आर.एच.एम./आर.बी.एस.के./2013/14857 भोपाल दिनांक 30/11/2013

प्रति,

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग,
सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग,
अलीराजपुर, मंदसौर, कटनी, सीहोर, गुना, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, देवास एवं होशंगाबाद मध्यप्रदेश।

विषयः— अलीराजपुर, मंदसौर, कटनी, सीहोर, गुना, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, देवास एवं होशंगाबाद में दिनांक 02/12/2013 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने बाबत्।

प्रदेश के बच्चों को स्वस्थ्य व सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है इस दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अलीराजपुर, मंदसौर, कटनी, सीहोर, गुना, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, देवास एवं होशंगाबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) दिनांक 02/12/2013 से क्रियान्वन किया जाना सुनिश्चित करें। जिसके अंतर्गत 0–18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण ब्लॉक स्तर पर गठित चलित स्वास्थ्य दल (Mobile Health Team) द्वारा किया जायेगा। RBSK की गतिविधियां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय कर की जायेंगी।

RBSK के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रदेश में सुनिश्चित की जायेंगी :—

1. इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में अधिकतम पायी जाने वाली जन्मजात विकृतियॉ, बच्चों की बीमारियॉ, पोषण की कमी, विलंबित विकास व निःशक्तता आदि चिन्हित 30 स्वास्थ्य स्थितियों (बीमारियों) का निदान व उपचार किया जाना है।
2. मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों का परीक्षण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा शासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों पर किया जायेगा। 0–18 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र व शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों एवं शासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।
3. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्कूल प्रबंधन, माता–पिता/अभिभावकों को बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अवगत कराते हुए मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का दिन, समय व स्थान के बारे में पूर्व से सूचित करेंगे।
4. ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्र में समस्त 0 से 6 वर्षीय बालक/ बालिकाओं का पंजीकरण एवं प्रोत्साहन किया जायेगा।
5. शासकीय व शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों में शिक्षक द्वारा मोबाइल हेल्थ टीम का सहयोग एवं माइक्रोप्लान में उक्त दिवस में छात्रों की अधिकतम उपलब्धता की सुनिश्चितता एवं प्रोत्साहन किया जायेगा।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि :-

- जिले में RBSK की सूक्ष्म कार्ययोजना मोबाइल हेल्थ टीम के माइक्रो प्लान के आधार पर तैयार करें। माइक्रो प्लान में सभी मजरे, टोले एवं दूरस्थ पहुँचविहीन गाँवों को चिन्हित कर अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये।
- इस सूक्ष्म कार्ययोजना में 'सुपोषण –सी.एन.आर.सी. / स्नेह शिविर' ग्राम को इस प्रकार सम्मिलित किया जायेगा कि यह टीम स्नेह शिविर के 12^{th} / 30^{th} दिवस को इस ग्राम में अवश्य पहुंचे। अन्य बच्चों के साथ–साथ सी.एन.आर.सी. / स्नेह शिविर के बच्चों पर भी इनका विशेष ध्यान रहेगा।
- प्रत्येक विकासखण्ड में 2 मोबाइल हेल्थ टीम को बच्चों की जाँच का काम सौंपा जाएगा। विकासखण्ड के अधिकार क्षेत्र के गांवों की जाँच के लिए मोबाइल हेल्थ टीम के बीच वितरित किया जाएगा।
- मोबाइल हेल्थ टीम बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों पर साल में दो बार एवं स्कूल में एक बार जायेगी। प्रत्येक दिन यह टीम 110–120 बच्चों का परीक्षण करेगी यदि किसी स्कूल में 110–120 से अधिक बच्चे पढ़ रहें है तो ये टीम दोबारा वहां जायेगी।
- 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की जाँच आंगनवाड़ी केन्द्रों में की जाएगी।
- 6 से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की जाँच सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में की जाएगी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों की जाँच वर्ष में कम से कम दो बार और स्कूली बच्चों की जाँच एक वर्ष में एक बार की जाएगी।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर बच्चों में पायी जाने वाली जन्मजात विकृतियाँ, बच्चों की बीमारियाँ, पोषण की कमी, विलंबित विकास व निःशक्तता आदि चिन्हित 30 स्वास्थ्य स्थितियों (बीमारियों) का निदान व उपचार किया जाएगा।
- मोबाइल हेल्थ टीम के आगमन के पूर्व ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी सहायिका एवं आशा के सहयोग से जन्म से 6 वर्षीय समस्त हितग्राही बच्चों की पंजी का अद्यतन किया जायेगा व सुनिश्चित किया जायेगा कि इसके अनुसार सभी बच्चे जांच वाले दिन उपस्थित हों।
- ए.एन.एम. एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता आवश्यकता के आंकलन अनुरूप सभी दवाईयों की उपलब्धता आंगनवाड़ी केन्द्र पर सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त हितग्राही बच्चों को दवा खिलाने के पश्चात ही भेजा जाए, ताकि कोई भी बच्चा इन औषधियों के लाभ से वंचित न रहे।
- जिलों में सर्वस्तर पर RBSK का शुभारंभ जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर समारोह पूर्वक किया जाए।
- RBSK के आयोजन एवं गतिविधियों के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, शिविर की दिनांक सभी मुख्य स्थानों पर, शिविर दिन से तीन दिन पूर्व ग्राम मे मुनादी द्वारा प्रचार आदि किया जाये, इसमे ग्राम स्वास्थ्य समिति को भी सम्मिलित किया जाये एवं ग्रामीण शासकीय भवनों जैसे – उपस्वास्थ्य केन्द्र, आँगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, अथवा पंचायत भवन का उपयोग कार्यक्रम संबंधी दीवार लेखन हेतु किया जाए।
- पर्यवेक्षण:–
  - ➢ RBSK के अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक समन्वय कर चेकलिस्ट के अनुरूप कार्यक्रम की गतिविधियों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये।
  - ➢ सेक्टर मेडिकल ऑफिसर एवं खण्ड स्तरीय स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों के कार्यो की संयुक्त मॉनिटरिंग किया जाये।

➢ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी भी RBSK में दी जाने वाली सेवाओं की सतत् मॉनिटरिंग करें एवं समस्याओं का कार्यस्थल पर ही निवारण किया जाये।

आपसे अपेक्षा है कि RBSK के क्रियान्वन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं सामाजिक व सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आप आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें, ताकि शत्–प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।

(रश्मि अरूण शमी)
आयुक्त सह संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र
मध्यप्रदेश

(नीलम शमी राव)
आयुक्त,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

(डॉ.एम.गीता)
मिशन संचालक,
एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश

क्र./एन.आर.एच.एम./आर.बी.एस.के./2013/14858 भोपाल दिनांक 30/11/2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ –

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, अलीराजपुर, मंदसौर, कटनी, सीहोर, गुना, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, देवास एवं होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
9. जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अलीराजपुर, मंदसौर, कटनी, सीहोर, गुना, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, देवास एवं होशंगाबाद स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं भोपाल आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अलीराजपुर, मंदसौर, कटनी, सीहोर, गुना, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, देवास एवं होशंगाबाद आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम., मध्यप्रदेश।
12. जिला शिक्षा अधिकारी, अलीराजपुर, कटनी, सीहोर, गुना, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, देवास एवं होशंगाबाद स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

(रश्मि अरूण शमी)
आयुक्त सह संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र
मध्यप्रदेश

(नीलम शमी राव)
आयुक्त,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

(डॉ.एम.गीता)
मिशन संचालक,
एन.आर.एच.एम.
मध्यप्रदेश